न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 114 सन 2011

अनवान :–

1. परमेश्वरी 2. सावित्री 3. समादेवी 4. सरबती पुत्रियान मोती जाति वावरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. पार्वती पत्नि स्वर्गीय दुनीराम जाति वावरी निवासी भगवान तहसील नोहर
2. गीता पुत्री दुनीराम जाति वावरी निवासी भगवान तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगबढ।
3. सेठी 4. भीमराज पुत्रगण दुनीराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. ऑरियन्टल बैक ऑफ कॉमस शाखा नोहर तहसील नोहर
7. कलावती पुत्री मोती जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 550/2 की 5.2100 ,562/14.5660 ,कुल 19.7660हैक भूमि वादीगण के पिता मोती पुत्र केसरा 1/4 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे तथा मोती पुत्र केसरा के फोत होने पर उसकी पांच लडकिया परमेश्वरी , सावित्री , समादेवी , व सरवती व कलावती वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी व उसका लडका दुनीराम बहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा के हकदार हुए दुनीराम पुत्र मोती के फोत हो चुका है उसकी जगह उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 चारों 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुये।

वाद भूमि वादीगण के स्वर्गीय पिता मोती व उसके भाई पेमाराम स्वीगीय भाई मंगलाराम व हसराम पुत्र केसरा चारो बहिब कब्जा काश्त में वाद भूमि थी जिसके व चारो खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि के खातें में उन चारो के साथ राजस्व रिकार्ड में सहवन से पुरखा का नाम मुश्तरका खाते में दर्ज कर दिया था जबकि ना तो पुरखा नाम का उसका कोई भाई था और ना ही भगवान में कोई पुरखा पुत्र केसरा बावरी था उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार देते समय नोट लगाया गया था कि पुरख का नाम अभिलेख में दर्ज नही है किन्तु सहवन से इन्तकाल में दर्ज हो गया है किन्तु पर्चा खतौनी में सहवन से मंगला , पेमा , पुरखा, हंसा , पुत्रगण केसरा दर्ज कर दिया पुरखा का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है केसरा का कोई पुत्र पुरखा नही था। उक्त दुरूस्ती हेतु एक वाद 152/95 अनवानी दुनीराम पुत्र प्रेमाराम आदि पेश किया गया जो दिनांक 28.9.1995 को डिक्री हो गया था ।

उक्त निर्णय के अनुसार रोही मौजा भुकरका की कुल 78.03 बीधा भूमि में मोती पुत्र केसरा का 1 /4 हिस्सा माना जो दुनीराम के उक्त निर्णय के आधार पर 1/4 हिस्सा मोती पुत्र केसरा के स्थान पर अकेला अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि कानुनी उसको अपने बहिनों का छोडकर समस्त भूमि 1/4 हिस्सा में कोई अधिकार नही था तथा उक्त 1/4 हिस्सा भूमि जो मोती पुत्र केसरा से प्राप्त हुई उसमें उसका केवल 1/6 हिस्सा था तथा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

शेष भूमि उसकी पांच बहिनों की वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 का 5/6 हिस्सा था।

वादीगण के भाई मृतक दुनीराम के नाम निर्णय दिनांक 28.9.1995 की पालना में दर्ज हुई तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 निर्णय व डिक्री से पाबन्द नही है उसके अधिकारों पर किसी प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री का प्रभाव नही है इसलिये जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर रोही मौजा भुकरका की कुल 197660हैक में से 1/4 हिस्सा दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/6 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 चारों के नाम 1/6 हिस्सा तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी पाचों 5/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा भुकरका की कुल 197660हैक में से 1/4 हिस्सा दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/6 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 चारों के नाम 1/6 हिस्सा तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी पाचों 5/6 हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के पिता मोतीराम पुत्र केसराराम के नाम वाद पत्र में वर्णित आराजी कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ था प्रश्नगत आराजी खसरा न0 550/5.2100 ,562/14.5660कुल 19.7660हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता दुन्नीराम पुत्र मोतीराम की स्व अर्जित भूमि है जो राजस्थान सरकार की काबिल काश्त बजंड भूमि को नोताडकर काबिल काश्त बनाया एवं सन 1990 में अपने चाचा प्रेमाराम , मंगलाराम , हंसराज पुत्र शेराराम के साथ राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्राप्त की है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में पुरखाराम दर्ज हो गया था जिसको प्रतिवादीगण के पिता दुन्नीराम ने श्रीमान सहायक कलक्टर नोहर के न्यायालय में वाद संख्या 152/1995 अनवानी दुन्नीराम बनाम प्रेमाराम प्रस्तुत कर दिनांक 28.09.1995 को दुनीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 का कोई हक हिस्सा कानूनन नही है।

वादीगण का वाद श्रीमानजी के श्रवणाधिकार का नही है क्योकि श्रीमानजी के न्यायालय ने दिनांक 28.09.1995 को प्रकरण संख्या 152/1990 में निर्णय एवं डिक्री पारित की जा चुकी है जो प्रश्नगत आराजी का निर्णय है पुनः उसी भूमि के सम्बध में वाद श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा सकता है जो विधि विरूद्व एवं न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है।

इसप्रकार श्रीमानजी द्वारा प्रश्नगत वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है पुनः उसी भूमि के सम्बध में निर्णय पारित नही किया जा सकता है एवं वाद भूमि में वादीगण के पिता मोतीराम पुत्र केसराराम कही भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है व न ही मोतीराम की कोई खातेदारी भूमि है वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को विरास्तन से प्राप्त आराजी में कोई हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण का जबाब पेश होने पर शामिल मिलस किया जाकर वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के जबाब दावा के आधार पर तनकीआत कायम की गई तनकीयात कायम करने के वाद उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादीगण ने साक्ष्य में परमेश्वरी

का शपथपत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा की गई प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने साक्ष्य हेतु उपस्थित नही आने पर साक्ष्य बन्द की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 550/2 की 5.2100 ,562/14.5660 ,कुल 19.7660हैक भूमि वादीगण के पिता मोती पुत्र केसरा 1/4 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे तथा मोती पुत्र केसरा के फोत होने पर उसकी पांच लडकिया परमेश्वरी , सावित्री , समादेवी , व सरवती व कलावती वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी व उसका लडका दुनीराम बहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा के हकदार हुए दुनीराम पुत्र मोती के फोत हो चुका है उसकी जगह उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 चारों 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुये।

वाद भूमि वादीगण के स्वर्गीय पिता मोती व उसके भाई पेमाराम स्वीगीय भाई मंगलाराम व हसराम पुत्र केसरा चारो बहिब कब्जा काश्त में वाद भूमि थी जिसके व चारो खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि के खातें में उन चारो के साथ राजस्व रिकार्ड में सहवन से पुरखा का नाम मुश्तरका खाते में दर्ज कर दिया था जबकि ना तो पुरखा नाम का उसका कोई भाई था और ना ही भगवान में कोई पुरखा पुत्र केसरा बावरी था उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार देते समय नोट लगाया गया था कि पुरख का नाम अभिलेख में दर्ज नही है किन्तु सहवन से इन्तकाल में दर्ज हो गया है किन्तु पर्चा खतौनी में सहवन से मंगला , पेमा , पुरखा, हंसा , पुत्रगण केसरा दर्ज कर दिया पुरखा का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है केसरा का कोई पुत्र पुरखा नही था। उक्त दुरूस्ती हेतु एक वाद 152/95 अनवानी दुनीराम पुत्र प्रेमाराम आदि पेश किया गया जो दिनांक 28.9.1995 को डिक्री हो गया था ।

उक्त निर्णय के अनुसार रोही मौजा भुकरका की कुल 78.03 बीधा भूमि में मोती पुत्र केसरा का 1 /4 हिस्सा माना जो दुनीराम के उक्त निर्णय के आधार पर 1/4 हिस्सा मोती पुत्र केसरा के स्थान पर अकेला अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि कानुनी उसको अपने बहिनों का छोडकर समस्त भूमि 1/4 हिस्सा में कोई अधिकार नही था तथा उक्त 1/4 हिस्सा भूमि जो मोती पुत्र केसरा से प्राप्त हुई उसमें उसका केवल 1/6 हिस्सा था तथा शेष भूमि उसकी पांच बहिनों की वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 का 5/6 हिस्सा था।

वादीगण के भाई मृतक दुनीराम के नाम निर्णय दिनांक 28.9.1995 की पालना में दर्ज हुई तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 निर्णय व डिक्री से पाबन्द नही है उसके अधिकारों पर किसी प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री का प्रभाव नही है इसलिये जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर रोही मौजा भुकरका की कुल 19760हैक में से 1/4 हिस्सा दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/6 हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 चारों के नाम 1/6 हिस्सा तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी पाचों 5/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के पिता मोतीराम पुत्र केसराराम के नाम वाद पत्र में वर्णित आराजी कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ था प्रश्नगत आराजी खसरा न0 550/5.2100 ,562/14.5660कुल 19.7660हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता दुन्नीराम पुत्र मोतीराम की स्व अर्जित भूमि है जो राजस्थान सरकार की काबिल काश्त बजंड भूमि को नोताडकर काबिल काश्त बनाया एवं सन 1990 में अपने चाचा प्रेमाराम , मंगलाराम , हंसराज पुत्र शेराराम के साथ राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्राप्त की है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 का कोई हक हिस्सा नही बनता है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में पुरखाराम दर्ज हो गया था जिसकों प्रतिवादीगण के पिता दुन्नीराम ने श्रीमान सहायक कलक्टर नोहर के न्यायालय में वाद संख्या 152/1995 अनवानी दुन्नीराम बनाम प्रेमाराम प्रस्तुत कर दिनांक

(राजस्व)

28.09.1995 को दुनीराम को खातेदार काश्तकार धोषित किया गया था जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 का कोई हक हिस्सा कानूनन नही है।

वादीगण का वाद श्रीमानजी के श्रवणाधिकार का नही है क्योकि श्रीमानजी के न्यायालय ने दिनांक 28.09.1995 को प्रकरण संख्या 152/1990 में निर्णय एवं डिक्री पारित की जा चुकी है जो प्रश्नगत आराजी का निर्णय है पुनः उसी भूमि के सम्बध में वाद श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा सकता है जो विधि विरूद्व एवं न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है।

इसप्रकार श्रीमानजी द्वारा प्रश्नगत वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है पुनः उसी भूमि के सम्बध में निर्णय पारित नही किया जा सकता है एवं वाद भूमि में वादीगण के पिता मोतीराम पुत्र केसराराम कही भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है व न ही मोतीराम की कोई खातेदारी भूमि है वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को विरास्तन से प्राप्त आराजी में कोई हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है।

1. तनकी न0 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2050 रोही मोजा भुकरका एवं नामान्तकरण संख्या 960 एवं जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 प्रस्तुत की गई है जो भगला, प्रेमा ,पुरखा , हसा पि0 केसरा के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है अर्थात मोती वल्द केसरा के नाम से भूमि दर्ज नहीं है वादीगण का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज मोती वल्द केसरा की खातेदारी भूमि थी वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो की वाद भूमि कभी मोती वल्द केसरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुइ हो यदि प्रश्नगत भूमि मोती पुत्र केसरा के नाम बतौर खातेदारी दर्ज होती तो मोतीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि पाने की अधिकारी थी किन्तु वादीगण अपने पूर्वज मोती वल्द केसरा के भूमि होना साबित करने में नाकाम रही है अतः तनकी न0 1 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।
2. तनकी न0 2– तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था वाादीगण मोती वल्द केसरा की भूमि होने का कथन कर मोती वल्द केसरा के देहान्त होने पर अपना हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है जबकि वादीगण यह साबित करने में नाकाम रही है कि वाद भूमि कभी मोती वल्द केसरा के नाम दर्ज रही हो ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिसमें वाद भूमि मोती वल्द केसरा के नाम से दर्ज रही हो मात्र कथनो के आधार पर कोई अनुतोष वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि दुनीराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है अतः तनकी न0 2 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।
3. तनकी न0 3 ,4 दोनो एक सामान ही है इनकों साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पर था वाद भूमि के सम्बध में एक वाद संख्या 152/1990 अनवानी दुनीराम बनाम पेमाराम इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो वाद सुनवाई दिनांक 28.09.1995 को निर्णय किया गया था निर्णय अनुसार दुनीराम पुत्र मोतीराम जाति बावरी को वाद भूमि रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 550/20.12 ,552/57.11 बीधा कुल 78.03 बीधा भूमि में से 1/4 बीधा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया था निर्णय व डिक्री की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता दुनीराम वल्द मोतीराम को वाद भूमि में 1/4 हिस्सा का बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया एवं दुनीराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

मोतीराम के देहान्त होने पर उसके जाजय वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है। वादीगण ने उक्त भूमि में ही अपने हकों की धोषणा करवाने के लिये हस्तगत वाद पेश किया गया है जो न्यायोचित नही है जब वाद भूमि के सम्बध में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है एवं उसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन भी हो चुका है तो पुनः उसी न्यायालय में उसी भूमि के सम्बध में वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है यदि वादीगण को उक्त निर्णय के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अपने हकों की धोषणा करवा सकती है पुनः उसी न्यायालय में वाद पेश किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः तनकी न0 3 ,4 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तय की जाती है।

इसप्रकार उपरोक्त तनकीआत में साबित हो चुका है कि वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे वाद भूमि मोती बल्द केसरा के नाम कभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही हो एवं प्रश्नगत वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में इसी न्यायालय के वाद पेश किया गया था जिसके निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन भी हो चुका है एवं वर्तमान में पूर्व वाद के वाद दुनीराम के वारिसान वर्तमान में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है पुनः उसी वाद भूमि के सम्बध में वाद प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत नही है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के अभाव में एवं पूर्व में वाद भूमि के सम्बध में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने के कारण वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. परमेश्वरी 2. सावित्री 3. समादेवी 4. सरबती पुत्रियान मोती जाति वावरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 पार्वती पत्नि स्वर्गीय दुनीराम जाति वावरी निवासी भगवान तहसील नोहर
2 गीता पुत्री दुनीराम जाति वावरी निवासी भगवान तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगबढ।
3 सेठी 4. भीमराज पुत्रगण दुनीराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. ऑरियन्टल बैक ऑफ़ कॉमस शाखा नोहर तहसील नोहर
8. कलावती पुत्री मोती जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 114 सन 2011 निर्णय दिनांक– 16/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के अभाव में एवं पूर्व में वाद भूमि के सम्बध में इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के कारण वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते